संख्याः 3498 /औ0वि0–22 ख/2001

प्रेषकः

श्री एस0 कृष्णन,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

औद्योगिक विकास

देहरादूनः दिनांकः अक्टूबर 17, ,2002

विषयः खनिज नीति–2001 में संशोधन।

महोदय,

उत्तरांचल राज्य में विभिन्न प्रकार के उपलब्ध खनिजों का दोहन आधुनिक विधि द्वारा सुनिश्चित करने, पर्यावरण का संरक्षण एवं खनिज भण्डारों का आधुनिक तकनीकी से विस्तृत अन्वेषण का कार्य करने के साथ ही साथ उप–खनिजों के खदान/चुगान कार्यों में एकाधिकार समाप्त किये जाने के उद्देश्य से खनिज नीति–2001 दिनांक 30.4.2001 प्रख्यापित की गयी थी।

2. राज्य की खनिज नीति–2001 के पुनरावलोकन की आवश्यकताओं को महसूस करते हुए नीति का विस्तृत परीक्षण पर्यावरण संरक्षण, राजस्व प्राप्ति, उपभोक्ताओं तथा निर्माण संस्थाओं को उप–खनिजों की उचित मूल्य पर सहज उपलब्धता तथा स्थानीय व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य को संज्ञान में रखते हुए किया गया। राज्य की वर्तमान खनिज नीति को अधिक प्रभावशाली एवं विकासोन्मुखी बनाये जाने के परिपेक्ष्य में राज्य में उपलब्ध उप–खनिज सम्पदा का खदान/चुगान कराये जाने हेतु शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :–

2.1 उप–खनिजों से आच्छादित खनन क्षेत्रों में एकाधिकार की संभावनाओं को समाप्त करने एवं खदान/चुगान का कार्य पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुये वैज्ञानिक विधि से सुनिश्चित करने हेतु यह कार्य गत वर्ष की भांति सरकारी निगमों द्वारा ही कराया जायेगा।

2.2 यथासम्भव सरकारी निगमों को नदीवार खदान/चुगान के पट्टे स्वीकृत किये जायेगें ताकि इस कार्य में बेहतर समन्वय एवं नियन्त्रण सुनिश्चित हो सके। इस हेतु जनपद देहरादून के समस्त क्षेत्रों में गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा तथा गोला नदी के समस्त क्षेत्रों में उत्तराचंल वन विकास निगम द्वारा उप–खनिजों

का खदान/चुगान किया जायेगा। परन्तु जनपद हरिद्वार में उप–खनिज बाहुल्य क्षेत्र की अधिकता के कारण वन क्षेत्रों में उप–खनिजों का खदान/चुगान उत्तराचंल वन विकास निगम एवं राजस्व क्षेत्रों में उप–खनिजों के खदान/चुगान का कार्य गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

2.3 खनिज नीति–2001 के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्रों की श्रेणी में से कतिपय छूटे हुए स्थानों यथा टनकपुर (शारदा), रामनगर, कोटद्वार, सतपुली एवं श्रीनगर (अलकनन्दा) में भी उपयुक्त निगम के माध्यम से खदान चुगान की व्यवस्था की जायेगी। सम्बन्धित जिलाधिकारी इन नदियों/क्षेत्रों तथा इस प्रकार के यदि कोई नदियां/क्षेत्र हों, के सम्बन्ध में वन विकास निगम/गढवाल मण्डल विकास निगम/कुमायूं मण्डल विकास निगम के अधिकारियों से विचार विमर्श के उपरान्त तुरन्त प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायेंगे।

2.4 पर्वतीय एंव मैदानी क्षेत्रों की विभिन्न नदियों के छोटे–छोटे लाटों में जहां उप–खनिजों का खदान/चुगान होता था/हो सकता है, परन्तु वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत अनुमति न मिलने के कारण संभव नहीं हो रहा है, के जनपदवार समग्र प्रस्ताव सम्बन्धित निगमों या उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा तैयार कर जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को अनुमति हेतु प्रेषित किये जायेंगे। इस प्रकार भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत चुगान की अनुमति प्राप्त होने पर उक्त क्षेत्रों में चुगान का कार्य सरकारी निगम/ उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ स्वंय करेंगे। यदि किन्ही परिस्थितियोंवश उपरोक्त संस्थायें उक्त कार्य स्वंय करने में असमर्थ हों तो यह कार्य उपरोक्त संस्थाओं की देख–रेख में स्थानीय व्यक्तियों/संस्था से कराये जाने की वैकल्पिक व्यवस्था शासन की अनुमति से सुनिश्चित करेंगे।

2.5 उपरोक्त प्रस्तर 2.2 एवं 2.3 के अतिरिक्त निजी नाप भूमि पर अथवा किन्ही अन्य परिस्थितियों में जिला स्तर से उप–खनिजों के खदान/चुगान के पट्टे/ अल्पावधि के खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

2.6 उप–खनिजों के दुरूपयोग तथा राजस्व की क्षति रोकने के उद्देश्य से स्टोन केशर्स में आने वाले उप–खनिजों की मात्रा एवं उनके द्वारा तैयार माल को समय–समय पर चैक किया जाना एवं स्टोन केशर से उप–खनिजों की निकासी पर भी प्रभावी पर्यवेक्षण जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2.7 उत्तरांचल में स्टोन केशर्स की स्थापना के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये है :–

(1) स्टोन केशर स्कूल कालेज/चिकित्सालय/मंदिर/पुल/नहर से कम से कम 500 मीटर दूर होने चाहिए।

(2) प्रदूषण मुक्त होने के लिये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेना होगा।

(3) राजस्व विभाग से इस आशय का अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेना होगा कि प्रस्तावित स्टोन केशर नदी तट, आरक्षित वन क्षेत्र एवं मुख्य सड़क मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यीय राजमार्ग) से कम से कम 500 मीटर की दूरी पर हों तथा दो स्टोन केशरों के बीच की दूरी कम से कम 500 मीटर होनी चाहिए।

2.8 दड़ा (आर.बी.एम.) की रॉयल्टी रेट मिश्रण में पाये जाने वाले अधिकतम रॉयल्टी वाले उप–खनिज अर्थात बजरी के रॉयल्टी रेट के बराबर होगी।

2.9 निगमों के क्षेत्रों में उप–खनिजों के खदान/चुगान, छनाई एवं लदान कार्य में लगे श्रमिकों की वांछित मजदूरी का नियमित भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये। इसी कम में चुगान क्षेत्र से अवैध खनन एवं निकासी पर प्रभावी नियंत्रण रखना भी सुनिश्चित किया जाये।

2.10.1 राजकीय निमार्ण कार्यों हेतु निर्माण सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से चिन्हित स्थलों पर (जनपद देहरादून, उधमसिंह नगर, हरिद्वार व जनपद नैनीताल की हल्द्वानी व रामनगर तहसीलों को छोड़कर) उप–खनिजों के चुगान के पट्टे निर्माण विभागों द्वारा आवेदन करने पर जिलाधिकारी द्वारा दिये जायेंगे।

2.10.2 जहां किन्हीं कारणोंवश ऐसी व्यवस्था उपलब्ध/संभव न हो वहां संबन्धित निर्माण संस्था के अधिशासी अभियन्ता के प्रमाण–पत्र पर निगम के प्रख्यापित मूल्यों पर निर्माण सामग्री सम्बन्धित निगम द्वारा कार्यदायी संस्था के अधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध करायी जायेगी ताकि सरकारी निर्माण संस्थाओं को उनकी न्यूनतम आवश्यकतानुसार निर्माण सामग्री न्यूनतम दूरी से उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिये भी लागू रहेगी।

2.10.3 उपरोक्त सरकारी महत्व के कार्यों में निर्माण सामग्री की उपलब्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित मण्डलायुक्त आपूर्ति व्यवस्था की लगातार समीक्षा कर समय–समय पर आने वाली कठिनाईयों का निराकरण अपने स्तर से करेंगे। आवश्यकतानुसार प्रकरण शासन को संदर्भित किया जायेगा।

3. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णयों का अनुपालन एवं कियान्वयन प्रभावी ढंग से किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Shrishan

(एस0 कृष्णन्)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0: 3[illegible]98/औ0वि0– 22 ख/2001 देहरादून दिनांक अक्टूबर 17 ,2002

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून।
3. मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमांयू, उत्तरांचल।
4. प्रबन्ध निदेशक, गढवाल मण्डल विकास निगम/कुमांयू मण्डल विकास निगम/उत्तरांचल वन विकास निगम।
5. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
6. अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
7. निजी सचिव, मा0 औद्योगिक विकास मंत्री।
8. गोपन अनुभाग।
9. उप–निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूडकी, जनपद हरिद्वार को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

Puneet K
17/X/02

(पुनीत कंसल)
अपर सचिव।